

काठ २२७ (काठ) एवं
श्रीकृष्णलाल शर्मा
(टीना जमी)



फलतः अपील अपीलान्त रवीकार की जाकर लोक सूचना अधिकांश एवं तहसीलदार उनीयारा तथा अपीलार्थी को प्रति की जावे ।
निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावे । निर्णय की प्रति लोक
आवेदन सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना
तहसीलदार उनीयारा को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा
फलतः अपील अपीलान्त रवीकार की जाकर लोक सूचना अधिकांश एवं

अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है । अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदन सूचना प्राप्त
करने का अधिकांश है ।